

राजस्थान-सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांक:- F 29 (3)/कार्यालय भवन निर्माण/मो./ ICDS /2017 /
उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

जयपुर, दिनांक:
19.09.18 - 9/11
29-10-18

विषय:- वर्ष 2018-19 के लिए उपनिदेशक कार्यालय/बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय/परियोजना अधिकारी कार्यालय भवन निर्माण हेतु तकमीना तैयार कर भिजवाने के क्रम में।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 116737-769 दिनांक 27.06.2018, 159430-462 दिनांक 31.08.2018 एवं 164580-612 दिनांक 11.09.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करावे जिसके द्वारा आपके जिले में जहाँ पर उपनिदेशक कार्यालय/बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय/परियोजना अधिकारी कार्यालय स्वयं के/सरकारी भवन/धन लक्ष्मी केन्द्र में संचालित नहीं हो रहे हैं अर्थात् यह भवन किराये के भवनों में संचालित किये जा रहे हैं, ऐसे भवनों के निर्माण हेतु भूमि/पट्टा प्राप्त कर सार्वजनिक निर्माण विभाग से संपर्क कर अनुमानित तकमीना/एस्टीमेट बनवाकर 15 दिवस में निदेशालय को भिजवाने के निर्देश दिये गये हैं।

इस मद में राशि रु 500.00 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध है किन्तु बार-बार निर्देशों के उपरान्त भी आपके कार्यालय से उक्त सूचना अभी तक भी प्राप्त नहीं है। इस संबंध में पुनः लेख है कि विभाग द्वारा जहाँ पट्टे प्राप्त कर लिये गये हैं वहाँ कार्यालय भवन निर्माण के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी नया परिपत्र प.26(3)साप्र/2/2014 दिनांक 28.04.2017 जिसमें की राजकीय कार्यालय/ परिसर के निर्माण की स्वीकृति के संबंध में गठित कमेटी की अनुशंसा करवाकर, प्रस्ताव निदेशालय को तुरन्त भिजवाना सुनिश्चित करावे ताकि प्राप्त प्रस्तावानुसार कार्यालय भवन निर्माण की वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने की आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

(Signature)
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- F 29 (3)/कार्यालय भवन निर्माण/मो./ ICDS /2017 /19.09.18 जयपुर, दिनांक:
प्रतिलिपी :- 29-10-18

1. ACP को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

(Signature)
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर